जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी-778 दिनांक: 29/5/09

कार्यवाही विवरण

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 78 वीं बैठक दिनांक 22.05.2009 को प्रातः 09:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	77.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 78 वीं बैठक दिनांक 08.05.09 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 78 वीं बैठक दिनांक 08.05.09 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	–
2.	78.2	खसरा संख्या 523–524, ग्राम नेवटा,जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. संशोधित विनियमानुसार प्रश्नगत भूखण्ड में अमानत राशि भवन निर्माता को जमा करवायी जावे। 5. नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जावेंगे।	
3.	78.3	भूखण्ड संख्या सी–सी–1, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श	

		ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	कर निर्णय लिया गया कि भवन दिनियम 2000 के विनियम संख्या 10 के अनुसार पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर करवायी जावे।	
4.	78.4	भूखण्ड संख्या सी–सी–2, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2000 के विनियम संख्या 10 के अनुसार पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर करवायी जावे।	
5.	78.5	भूखण्ड संख्या सी–सी–3, त्रिवेणी नगर एबी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2000 के विनियम संख्या 10 के अनुसार पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर करवायी जावे।	
6.	78.6	भूखण्ड संख्या सी–सी–4, त्रिवेणी नगर एबी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2000 के विनियम संख्या 10 के अनुसार पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर करवायी जावे।	
7.	78.7	भूखण्ड संख्या सी–सी–5, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2000 के विनियम संख्या 10 के अनुसार पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर करवायी जावे।	
8.	78.8	भूखण्ड संख्या सी–सी–6, त्रिवेणी नगर सी डी ब्लॉक ग्राम राजावास तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2000 के विनियम संख्या 1C के अनुसार पार्किंग भूखण्ड सीमा के अन्दर करवायी जावे।	

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्नांकित अतिरिक्त [illegible]

9.	78.9	भूखण्ड संख्या 7/2 बी–1, विद्याधर नगर, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:–	

		भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	1. जोन से पुनर्गहण शुल्क बाबत् रिपोर्ट ली जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
10.	78.10	भूखण्ड सख्या 4, स्वेज फार्म, के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित कियोस्कों के चारों तरफ 2.0 मीटर कोरीडोर का कोई व्यावसायिक उपयोग भविष्य में नहीं किया जावेगा, इस बाबत् अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. जविप्रा भवन विनियम 2000 के अन्तर्गत भवन की ऊँचाई में स्टिल्ट सम्मिलित नहीं हैं व विनियम 9.8.2 के अन्तर्गत स्टिल्ट किसी भी फ्लोर पर अनुज्ञेय है। नीलामी किये गये भूखण्डों में भवन की ऊँचाई का उल्लेख किया जाता है क्योंकि स्टिल्ट भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं है। अतः पूर्व के अन्य प्रकरणों में जैसे अक्षत निलय व सोमदत्त बिल्डर्स, हवा सडक, आयरिश स्वेजफार्म, आदि ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में स्टिल्ट को ऊँचाई में सम्मिलित नहीं करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः तीसरे मंजिल पर प्रस्तावित स्टिल्ट को भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं करते हुए अनुमति प्रदान की जावे। 4. जविप्रा के JEN (जोन–5) द्वारा सर्वे प्लान के अनुसार कब्जा दिया गया है व कम्पाण्ड वाल जविप्रा द्वारा बनायी गई है अतः कोने पर वकता को मौके पर निर्मित कम्पाउण्ड वाल के अनुसार ही रखा जावे।	

			निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगें।	
11.	78.11	खसरा नं. 502, 502/1, 503, 503/1, 504, 505/1, 516/1, 517, 518, 518/1, 519, 520, 521/2, 522/2 ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

29/5/07

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 78 वीं बैठक दिनांक 22.05.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1. श्री उमेश कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। — अध्यक्ष
2. श्री पी. के. पाण्डेय, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर — सदस्य
3. श्री नारायण लाल मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर — सदस्य
4. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर — सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्री बाबू लाल गोयल उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पुरूषोत्तम शर्मा उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक बीपीसी(बीपी)जविप्रा, जयपुर।

29/5/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–778 दिनांक : 29/5/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि, जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन–............., जविप्रा, जयपुर।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

29/5/09.

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।